ालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ीन अधिकारीः—श्रीमति टीना डाबी, आई0ए0एस0
मा नम्बरः—69 / 2016 राजस्व वाद
ते रामकन्या पुत्री जगन्नाथ पत्नि श्री लक्ष्मण खटीक, उम्र बालिग निवासी सांगानेर लक्ष्मीनारायण मंदिर, धोबी मोहल्ला—चित्तौडगढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ स्थान)

------वादिया

बनाम

श्री रामप्रसाद पिता जगन्नाथ धोबी, उम्र बालिग निवासी छापरवाल मोहल्ला—सांगानेर
श्री प्रेम पिता जगन्नाथ धोबी, उम्र बालिग निवासी छापरवाल मोहल्ला—सांगानेर
श्री शंभूलाल पिता भैरूलाल धोबी, उम्र बालग निवासी गढ़ के पीछे—सांगानेर
श्री रामपाल पिता भैरूलाल धोबी, उम्र बालिग निवासी गढ़ के पीछे—सांगानेर
श्री छोटू पिता भैरूलाल धोबी, उम्र बालिग निवासी गढ़ के पीछे—सांगानेर तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
श्रीमति आशा पुत्री भैरूलाल पत्नि रमेश चन्द्र धोबी, उम्र बालिग निवासी सेंगवा ऊसिंग बोर्ड, इन्द्राणी पब्लिक स्कूल के पीछे, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौडगढ़
श्रीमति पारस पुत्री भैरूलाल पत्नि भागीरथ धोबी, उम्र बालिग निवासी लक्ष्मीनारायण मंदिर, धोबी मोहल्ला—चित्तौडगढ तहसील व जिला चित्तौड़गढ (राजस्थान)
श्रीमति सायरी पत्नि भैरूलाल धोबी, उम्र बालिग निवासी गढ़ के पीछे—सांगानेर
श्रीमति प्यारी पुत्री जगन्नाथ पत्नि हजारी धोबी, उम्र बालिग निवासी भोली तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
—श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयक महोदय, भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88—89—92(क)188 राज0टिनेन्सी एक्ट 1955

उपस्थितः—

एडवोकेट—वादिया

—श्री राकेश जैन —

दिनांकः—29.3.2019

:: नि र्ण य ::

संक्षिप्त में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादिया ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88—89—92(क)—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से का पारिवारिक सजरा निम्नानुसार हैः— जगन्नाथ

भैरूलाल(पुत्र) रामप्रसाद(पुत्र) प्रेम(पुत्र) प्यारीबाई(पुत्री) रामकन्या(पुत्री) रामूबाई(पत्नि फौत)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

I--------------I--------------I--------------I--------------I--------------I

रूलाल(पुत्र) रामपाल(पुत्र) छोटू(पुत्र) आशा (पुत्री) पारस(पुत्री) सायरी(पत्नि)

वर्णित सजरे अनुसार मूल पुरूष जगन्नाथ जी है जिनके तीन पुत्र भैरूलाल, ाद व पेम तथा पुत्रिया प्यारी बाई व रामकन्या हुई। भैरूलाल का देहान्त हो गया के वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 से 8 हैं। श्रीमति रामू बाई पत्नि जगन्नाथ धोबी का हान्त हो गया हैं। ग्राम पालड़ी तत्कालीन पटवार हल्का आरजिया हाल पटवार क्षैत्र ी तहसील व जिला भीलवाड़ा में जगन्नाथ पिता नारायण धोबी के नाम सम्वत् 2049 052 की जमाबंदी में आराजी नम्बर 986 रकबा 17 बिस्वा भूमि स्थित थी। वादिया के जगन्नाथ जी का देहान्त हो गया है उनके देंहान्त के पश्चात उक्त वादग्रस्त जी का इंतकाल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 3 से 8 के पिता ाल एवं श्रीमति रामू देवी पत्नि जगन्नाथ धोबी के साथ–साथ वादिया एवं प्रतिवादी ा 9 के नाम पर भी समान हक हिस्से से विधिवत् खुलकर फैसल किया जाना था। के जिस वक्त जगन्नाथ जी का देहान्त हुआ उस वक्त हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 6 प्रभावी हो चुका था। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक सम्पदा में यों काक भी पुत्रों के समान ही हक हिस्सा निहित होता हैं। उक्त अधिनियम के ार वादिया मृतक जगन्नाथ जी की जायन्दा पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिसान थी इतना ही नहीं कब्जा व दखल भी उक्त आराजी पर वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 9 का शामिल में ही हो सभी शामिल में ही काश्त आदि कर उपयोग–उपभोग करते आ रहे हैं। किन्तु राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मिलाभगती करके जगन्नाथ के प्रथम श्रेणी के अन्य वारिसान जो कि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 9 है को ंदा तौर बिना वादिया को सुनवाई का समुचित अवसर दिये उक्त वादग्रस्त आराजी जगन्नाथ जी की विरासत से भैरूलाल, रामप्रसाद, प्रेम एवं श्रीमति रामू के नाम सं ्त कर दी। जबकि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 9 का भी उक्त आराजी में विधि सार समान हक–हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/5–1/5 हक हिस्सा निहित था। व त गलत खोले गये नामान्तरण से प्रतिवादी संख्या 1 से 8 उक्त आराजी के तन्हा लेक एवं खातेदार काश्तकार कानूनन नहीं हो जाते है बल्कि जगन्नाथ जी के उक्त राजी के खातेदार काश्तकार वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 है कब्जा व दखल निरन्तर वादग्रस्त आराजी पर वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 का ही हो सभी तेदार आपसी सहमति व स्वीकृति से शातिपूर्वक तरीके से शामिल में ही काश्त आदि र उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है एवं जगन्नाथ जी एवं श्रीमति रामू की मृत्यु के श्चात उक्त वादग्रस्त आराजी में जगन्नाथ जी व श्रीमति रामू के समस्त प्रथम श्रेणी के रिसान वादिया एवं प्रतिवादीसंख्या 1, 2 व प्रतिवादी संख्या 3 से 8 के पिता व प्रतिवादी ंख्या 9 में समान हक हिस्से से निहित हो गयी । किन्तु उक्त वादग्रस्त आराजी के ाजस्व अभिलेख में वादिया का नाम अंकित नहीं होने से वादिया के खातेदारी क–अधिकारों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा हैं। जिससे यह घोषित किया जाना आवश्यक कि वादिया ग्राम पालड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा के आराजी संख्या 986 रकबा 17 स्वा भूमि में 1/5 हक हिस्से की खातेदार काश्तकार है तथा इसी अनुसार प्रतिवादी ंख्या 1 व 2 प्रत्येक का 1/5 हक–हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 से 8 का संयुक्त रूप से /5 हक–हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 9 का 1/5 हक हिस्सा हैं। इन्द्राज दुरूस्ती ुसार उक्तानुसार उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व अभिलेख में अंकन कराया जाना वश्यक हैं। वादिया का उक्त वादग्रस्त आराजी में अपने हक–हिस्से की भूमि पर कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

व उपयोग–उपभोग आज पर्यन्त निरन्तर करती चली आ रही है। किन्तु राजस्व
ख में वादिया का नाम अंकित नहीं होने से प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त आराजी का
र्द, अन्तरित व भारित करने पर आमादा हो रहे है,व वादिया को बेदखल करने पर
है। जिससे प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक हैं।
ने दिनांक 24.6.2016 को राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल निकलवाई तो
म जानकारी में आया कि वादिया का नाम उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व
ख में जगन्नाथ जी की विरासत से दर्ज नहीं हुआ है तब वादिया ने नकले
वाई तब समस्त तथ्यों की जानकारी हुई इस पर वादिया ने प्रतिवादीगण को उक्त
स्त आराजी के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज कराने हेतु कहा, लेकिन वे
टोल करते रहे। वादिया ने अंतिम बार दिनांक 10.7.2016 को प्रतिवादीगण से इस
निवेदन किया तो उनके मन में बदयान्ति आ जाने से उन्होंने इंकार कर दिया एवं
दी कि वे वादिया को एक इंच भूमि भी नहीं देगें। एवं उक्त वादग्रस्त आराजी को
र्द–बुर्द अन्तरित कर देगें। वादिया को जबरन बेदखल कर देगें। जिससे वादिया
ह वाद पत्र पेश करने की नौबत आयी है एवं कारण वाद दिनांक 24.6.2016 एवं
.2016 से उत्पन्न होकर आज पर्यन्त निरन्तर जारी हैं। अतः वादिया का वाद पत्र
र फरमाया जाकर डिक्री बहक वादिया विरूद्व प्रतिवादीगण के सादिर फरमाई
।

वकील वादिया का वाद पत्र दिनांक 10.8.2016 को पंजीबद्व किया
र जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद
ल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 5.9.
को उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
वादिया के वाद पत्र को अस्वीकार कर कथन किया कि जगन्नाथ जी की मृत्यु 40
पूर्व हो चुकी है वादिया का किसी भी भू–भाग पर काबिज नहीं रही हैं। जगन्नाथ जी
मृत्यु से पूर्व ही वादिया का विवाह लक्ष्मण जी से हो गया। अपने सुसराल रहती चली
रही हैं। दिनांक 10.7.2016 कोई बिनाय वाद उत्पन्न नहीं हुआ। वक्त मृत्यु जगन्नाथ
कानून 40 वर्ष पूर्व उत्ताधिकार अधिनियम में कोई अधिकार नहीं था। अतः प्रार्थना है
ालय द्वारा निर्धारित किये गये जाने व प्रतिवादी सख्या 1 कोई दावा नहीं लड़ना
ता हैं। प्रतिवादी संख्या 2 से 6, 7, व 9 द्वारा सम्मन लेने से मना करने पर मकान
चस्पा किया गया। सम्मन तामिल माने जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 2 से 6, 7, 9
कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के
ण एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिनांक 9.1.2017 को पारित किया
। वकील वादीने प्रतिवादी संख्या 8 की मृत्यु हो जाने से एक प्रार्थना पत्र आदेश 22
म 4 व धारा 151 जा0दी0 का दिनांक 15.11.2017 को प्रस्तुत किया। जिसे शामिल
ावली किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व धारा 151 जा0दी0 पर
ांक 22.11.2017 को बहस सुनी गयी। प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व धारा 151
0दी0 को दिनांक 22.11.2017 को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 8 का नाम
लिट किया गया।

वकील वादिया ने वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी की नकल सम्वत्
72 से 2075 की नकल, जमाबंदी की नकल सम्वत् 2049 से 2052 ई.एक्स. 2, जमाबंदी

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

नकल सम्वत् 2069 से 2072 ई.एक्स.1 प्रस्तुत किये। जिसे शामिल पत्रावली किये। वकील वादिया द्वारा और कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण दस्तावेज तुत करने का अवसर समाप्त किया गया।

वकील वादिया ने वाद पत्र की ताईद में गवाह श्रीमति रामकन्या जगन्नाथ पत्नि लक्ष्मण धोबी, पी.डब्लू. 1, श्री रतनलाल पिता गोकुल धोबी का शपथ प्रस्तुत किया। जिसे शामिल पत्रावली किये गये। वकील वादिया द्वारा और कोई क्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया।

वकील वादिया ने बहस करनी चाही। वकील वादिया की बहस नी गयी। बहस के दौरान वकील वादिया ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों, दस्तावेजों व क्ष्य के आधार पर वादपत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया, तथा बहस पर मनन किया या। विवादित आराजियात ग्राम पालड़ी पटवार हल्का आरजिया तहसील व जिला लवाड़ा में स्थित होकर जगन्नाथ पिता नारायण धोबी साकिन सांगानेर के नाम दर्ज कार्ड थी। जरिये इंतकाल नम्बर 79 दिनांक 3.5.1993 के द्वारा विरासत से जगन्नाथ के जाय भैरू, रामप्रसाद, प्रेम पिता जगन्नाथ , रामू बेवा जगन्नाथ धोबी साकिन सांगानेर के म दर्ज करने की स्वीकृति हुई। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की कल सम्वत् 2049 से 2052 ई0एक्स02 व जमाबंदी की नकल सम्वत् 2069 से 2072 ई. क्स.1 से होती हैं। प्रस्तुत दस्तावेजों व वादपत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार विवादित राजियात जगन्नाथ पिता नारायण धोबी के नाम दर्ज रेकार्ड थी। वादपत्र की कलम म्बर 1 में अंकित वंशावली–सजरा में वादिया जगन्नाथ की पुत्री है किन्तु विरासत से ाता केवल मात्र उनके पुत्रों व उनकी पत्नि के नाम पर खोला गया। जिसकी ताईद स्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत् 2049 से 2052 ई.एक्स.2 व जमाबंदी ी नकल सम्वत् 2069 से 2072 ई0एक्स01 से होती है। विरासत का खाता जगन्नाथ के त्रों व उनकी पत्नि के नाम खोला गया। जबकि वादिया जगन्नाथ की पुत्री है। पुत्री ोने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादिया अपना हक व हिस्सा खती हैं। हक व हिस्सा होने के कारण वादिया विवादित आराजियात में 1/5 हिस्से का अधिकार रखती हैं। इस कारण भूमि 1/5 हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड इन्द्राज कराने की अधिकारी हैं। प्रतिवादीगण ने वादपत्र के खण्डन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की । जिससे भी स्पष्ट जाहिर होता है कि वादिया जगन्नाथ की पुत्री होकर जगन्नाथ की भूमि में अपना हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादिया अपने वाद पत्र को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ अतः

:: आ दे श ::

वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादिया विरूद्व प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पालड़ी पटवार हल्का

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

ड़ी तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 986 रकबा 17 बिस्वा में से 1/5 हिस्से का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। उसी सार भूमि वादिया के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। प्रतिवादीगण के विरूद्ध यी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि वादिया के कब्जे काश्त व योग–उपभोग में दखलंदाजी न तो स्वयं उत्पन्न करे, न किसी अन्य से करावें। दिया को शाति पूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन । तद्नुसार डिकी जारी हों।

(टीना डाबी)
आई. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 29.3.2019 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले यालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा